आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः अध्यक्ष (डिस्कॉम्स)/एमआईएस/पत्रा. /प्रे. 158 जयपुर, दिनांक 29.09.2014

कार्यालय आदेश

गत वर्षों में वितरण तंत्र में उपयुक्त रखरखाव न होने के कारण तंत्र में आई खराबी को दूर करने के लिये **"फीडर इम्प्रूवमैन्ट प्रोग्राम"** व **"सब स्टेशन इम्प्रूवमैन्ट प्रोग्राम"** लागू किया गया है। इन योजनाओं के कियान्वयन से आम उपभोक्ताओं को की जा रही बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के आंकलन व विद्युत छीजत में कमी लाने के प्रयासों की मॉनीटरिंग के लिये निम्न निर्देश दिये जाते है कि वे :

फीडरों पर विद्युत व्यवधान कम करने का लक्ष्य

फीडर इम्प्रूवमैन्ट प्रोग्राम क्रियान्वयन से 33 केवी व 11 केवी फीडरों की ट्रिपिंग(व्यवधानों) में आने वाली कमी के परिणामों की मॉनीटरिंग हेतु प्रति फीडर प्रतिमाह ट्रिपिंग का रिकार्ड संधारण कर फीडरों को ए, बी, सी व डी श्रेणियों में प्रति माह इस प्रकार विभक्त किया जावे :

ए – तीन ट्रिपिंग प्रति फीडर प्रतिमाह

बी – 4 से 10 ट्रिपिंग प्रति फीडर प्रतिमाह

सी – 11 से 20 ट्रिपिंग प्रति फीडर प्रतिमाह

डी – 20 से अधिक ट्रिपिंग प्रति फीडर प्रतिमाह

एफ.आई.पी योजना के बिन्दू 1 व 2 में ढीले तारों को ठीक करना व टेढे पोलों को सीधा करने के कार्यों का कियान्वयन नवम्बर 2014 तक एवं बिन्दु 3 में लम्बे स्पॉनों में भूमि से यथोचित क्लीयरेंस के कार्य 50 प्रतिशत फीडरों पर नवम्बर, 2014 तक व शेष 50 प्रतिशत फीडरों पर बिन्दु 3 के कार्य मार्च, 2015 तक पूरा करने के साथ समय पर प्रिवेंन्टिव रखरखाव के परिणाम स्वरूप प्रत्येक फीडर पर अधिकतम 3 ट्रिपिंग प्रति माह की सीमा लक्षित रहेगी। लक्षित सीमा से अधिक ट्रिपिंग होने पर निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगें एवं ट्रिपिंग लक्षित सीमा के अन्तर्गत लाने के लिए वे व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी योजना बनाकर एक माह की समय सीमा में पुनः तीन ट्रिपिंग प्रति माह प्रति फीडर लाया जाना सुनिश्चित करेगें।

फोन : (0141) 2747064 (का.) • फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई-मेल : chairmandiscoms@jvvnl.in